न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,मसूदा जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या–52 सन् 2011

श्री किशनलाल पुत्र श्री मिश्री जाति जाट निवासी– ग्राम लोरडी तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)

.....वादी

बनाम

1. श्री मिश्री पुत्र श्री सांवल जाति जाट निवासी– ग्राम लोरडी तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)
2. राज0 सरकार जरिय तहसीलदार महोदय, तहसील परिसर, मसूदा

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 19.10.16

वादी ने अपने इस वाद पत्र मे साराशंत निवेदन किया हैं कि ग्राम लोरडी पटवार मंडल बहादुरपुरा तहसील मसूदा हाल बिजयनगर की जमाबंदी के खाता स0 229 कुल किता 15 रक्बा 46–14–00 बीघा भूमि जो वाद पत्र के पद स0 1 मे अंकित की गई है। वह वादी एंव प्रतिवादी स0 1 मिश्रीलाल की दादा–परदादा के समय से पुश्तैनी चली आ रही है जिन पर वादी एंव प्रतिवादी स0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी स0 1 ने वादी को सामाजिक रीतिरिवाज से गोद लिया हैं और वादी ही प्रतिवादी स0 1 की सेवा चाकरी एंव सामाजिक कार्य मायरा इत्यादि करता चला आ रहा है वादी अपने पूर्व घर एंव परिवार से नाता तोडकर कानूनन प्रतिवादी स0 1 का दत्तक पुत्र होने व उससे जुड जाने से विवादित अराजियात मे उसके अधिकार निहीत हो गये है किन्तु प्रतिवादी स0 1 विवादित अराजियात को दीगर व्यक्तियो को ओने पोने दाम पर बेचने पर आमदा है। वादी प्रतिवादी का दतक पुत्र होने से विवादित अराजियात जो पुश्तैनी है अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा विवादित अराजियात को विक्रय करने से प्रतिवादी स0 1 को मना करने पर उसने बेचने की ठान ली है यदि वह उन्हे बेच देता है तो वादी एंव उसके परिवार के भूखे

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

मरने की नोबत आ जावेगीं। विवादित आराजी को वादी के नाम कराने से मना करने के कारण यह वाद लाने की आवश्यकता हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि वादी विवादित आराजी मे1/2 हिस्से का खातेदार है तथा जरिये माप एंव सीमांकन बटवारा कराने का अधिकारी है। बटवारा भूमि करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण पर सम्मन जारी करने पर प्रतिवादी 1 के बावजूद तामीली सम्मन के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।वादी द्वारा शहादत के शपथ पत्र पेश करने के लिए दिनांक 3.04.2014से 19.10.16 तक 20 अवसर देने के बावजूद कोई शहादत पेश नही करने से हक शहादत वादी बंद किये गये विद्वान वकील वादी को सुना गया। उनके तर्क वाद कथन अनुसार ही रहे।

मैने पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी अपने मौखिक कथनो से ही प्रतिवादी स0 1 का दत्तक पुत्र बताता है किसी प्रकार का इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य बतौर गोदनामा पेश नही किया अन्य दस्तावेज लोरडी की जमांबदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 31 की प्रति पेश की है जिसके आधार पर गोदनामे के अभाव मे वादी को दतक पुत्र माना जाना न्यायोचित नही है। ग्राम लोरडी के खाता स0 29 कुल खसरा किता 15 रक्बा 46–14–00 बीघा विवादित भूमि मे प्रतिवादी से 1 तन्हा रूप से खातेदार है जिसमे वादी का कोई हक व हिस्सा अभिलेखानुसार नही बनता हैं।अभिलेख की स्थिती को दृष्टिगत रखते हुए वादी के विवादित आराजी मे कोई अधिकार होना नही पाया जाता है। वाद वादी स्वीकार योग्य नही है। भले ही प्रतिवादी स0 1 के विरूद्व एक तरफा कर दी गई हो।

अतः वाद वादी सव्यय निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि ग्राम लोरडी स्थित आराजी ख0न0 642,658, 801,834,902, 903,904,906,907,910,911,913,925/1,638 व 908 कुल किता 15 रक्बा 46–14–00 बीघा भूमि मे वादी के कोई अधिकार उत्पन्न नही होते।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 16:29:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: